उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 19/2018

बलवंत सिंह बनाम् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
02-01-2019	**–: आदेश :–** अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। Track No-BR-01GD-1451 में लदा कोयला से संबंधित कागजातों को नजर अन्दाज करते हुए प्राधिकृत्त पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या– 130/2015 में दिनांक–04.06.2018 को आदेश पारित को निरस्त करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया हैं। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख राज्यसात वाद सं0– 130/2015 में दिनांक–04.06.2018 को पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि Track No-BR-01GD-1451 में लदा कोयला से संबंधित कागजात संदिग्ध प्रतित् होता है। विधिवत् प्रक्रिया के तहत् नियमानुसार निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखाप्रित एवं संशोधित 02/1/19 उपायुक्त, रामगढ़। 02/1/19 उपायुक्त, रामगढ़।	

Scanned by CamScanner